न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पर्वतसिंह चुण्डावत , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 93/21 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2021/860

श्री अमरचन्द वनाम श्री राज. राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 21.12.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मोजा कियाखेडा पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में साविक खसरा नंवर 371/3 रकवा 3 विघा स्थित होकर आवादी ग्राम पंचायत बडगांव के नाम खातेदारी हक से अंकित है। यह कि प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारी पहले भट्ट वान्ध के पेटा में निवास करते थे ओर भट्ट के निर्माण के वक्त हम प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारियों को ग्राम कियाखेडा के साविक खसरा नम्वर 371 में वसाया इसके वाद ग्राम पंचायत वडगांव द्वारा उक्त वसे हुए लोगों की आवादी भूमि का विस्तार हेतु आवेदन किया गया जिसकी पालना में कार्यालय तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश कमांक 396/75/मूल. दिनांक 19.12.1977 से ग्राम कियाखेडा के खसरा नम्वर 371 गी. में से 3 विघा एवं आराजी नम्वर 373 में से 3 विघा कुल 6 विघा भूमि चरागाह से आवादी में परिवर्तन करने हेतु स्वीकृति राज्य सरकार से आदेश कमांक एफ 2 (368) राज. /ग्रुप–3/76 जयपुर दिनांक 7.8.1976 से हुई जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 97 से उक्त भूमि आवादी विस्तार ग्राम पंचायत वडगांव के नाम अंकित करते हुए साविक राजस्व नक्शे में खसरा नम्वर 371/3 के रूप में तरमीम किया गया है उक्त खसरा नंवर पर पहले प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारियों के मकानात वने हुए थे ओर वर्तमान में प्रार्थीगण के पक्के मकानात वने हुए होकर सपरिवार निवास कर रहे है।

2. यह कि उक्त साविक खसरा नम्वर 371/3 के नवीन सेटलमेन्ट में खसरा नम्वर 371/3 के स्थान पर नवीन खसरा नम्वर 484 अंकित करते हुए इसे आवादी ग्राम पंचायत वडगांव अंकित करना चाहिए था लेकिन नवीन नक्शे में 371/3 के नवीन खसरा नम्वर 484 में तरमीम नही होने से खसरा नम्वर 371/3 का मिलान साविक नक्शे से वर्तमान नवीन राजस्व नक्शे से करने पर दोनो का मिलान नहीं हो रहा है जवकि यह खसरा नम्वर 371/3 साविक नक्शे एवं नक्शे में उक्त भूमि पहले आवादी थी ओर उक्त भूमि में ही पूर्वाधिकारियों को बसाया गया था आज भी प्रार्थीगण उसी जगह काविज है तथा पूर्वाधिकारियों के समय से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग भी रिहायशी मकानों के रूप में करते चले आ रहे हैं लेकिन मोका स्थिति साविक नक्शा एवं नवीन नक्शा की स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सेवन से नवीन राजस्व नक्शे में उक्त भूमि गलत तरमीम कर दिया गया है जिसे शुद्धि के जरिये सही तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः साविक खसरा नम्वर 373/3 रकवा 3 विघा को साविक राजस्व नक्शे के अनुसार नवीन राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

नक्शे में आवादी विस्तार वाली भूमि को तरमीम किया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कियाखेडा की गत जमावंदी संवत् 2068–71 के आराजी नंबर 371/3 रकबा 3 बिघा किस्म आबादी जो कि नामान्तरण संख्या 432 द्वारा किस्म आवंटन ग्राम पंचायत वरणी आबादी विस्तार हेतु नाम दर्ज हुई। सेटलमेन्ट के वाद उक्त आराजी से बने नवीन खाता संख्या 140 आराजी नम्बर 492 रकबा 0.6500 है. भूमि किस्म आबादी होकर आबादी ग्राम पंचायत वरणी हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। साबिक आराजी नंबर 371/3 से बने नवीन आराजी नंबर 492 के स्थान में गत लट्टा शीट में मौजूद तरमीम के मुकाबले स्थान परिवर्तन हो गया है जो मौके व गत तरमीम अनुसार अशुद्व है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा लट्टा शीट में मौजूद आराजी नंबर 371/3 की तरमीम के आधार पर आराजी नंबर 484 रकबा 1.1400 है. किस्म विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड में से 0.5300 है. एवं आराजी नं. 491 रकवा 0.2000 है. किस्म विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड में से 0.1200 है. भूमि को किस्म आबादी एवं आराजी नं. 492 रकबा 0.6500 है. भूमि को विकास पंचायत महफूज चरनोट हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु के नाम दर्ज किया जाना अपेक्षित बताया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार साबिक आराजी नंबर 371/3 रकबा 3 बिघा भूमि आबादी ग्राम पंचायत वरणी के नाम दर्ज थी। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी नंबर के नये नंबर 484 अंकित करते हुए ग्राम पंचायत वरणी के नाम अंकित करना चाहिए था लेकिन नवीन नक्शे में साबिक आराजी नंबर 371/3 के नये नंबर 492 अंकित कर दिये गये जो कि गलत है जिससे साबिक आराजी नंबर अनुसार नवीन नक्शे में शुद्वि किये जाने निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि साबिक आराजी नंबर 371/3 रकबा 3 बिघा किस्म आबादी नामांतरण संख्या 432 द्वारा किस्म आबादी ग्राम पंचायत वरणी के नाम दर्ज हुई जो कि जमाबंदी संवत् 2068–71 की खाता संख्या नया 1 से स्पष्ट है। उक्त साबिक आराजी नंबर के नवीन आराजी नंबर 492 रकबा 0.6500 है. भूमि किस्म आबादी होकर आबादी ग्राम पंचायत वरणी हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में दस्तावेज के अध्ययन से यह पाया कि ग्राम कियाखेडा के खसरा नम्बर 371 मी. में से 3 विघा एवं आराजी नम्बर 373 में से 3 बिघा कुल 6 बिघा भूमि चरागाह से आबादी में परिवर्तन करने हंतु स्वीकृति राज्य सरकार से आदेश कमांक एफ 2 (368) राज./ग्रुप–3/76 जयपुर दिनांक 7.8. 1976 से हुई जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 97 से उक्त भूमि आबादी विस्तार ग्राम पंचायत वडगांव के नाम अंकित करते हुए साबिक राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 371/3 के रूप में तरमीम किया गया है। प्रकरण में गत लट्टा शीट में दर्ज साबिक आराजी नंबर 371/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान आराजी नंबर 484 व 491 के आंशिक भाग से मिलान करती है जो तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित की गई है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार की रिपोर्ट से यह पाया कि साविक आराजी नंबर 371/3 से बने नवीन आराजी नंबर 492 के स्थान में गत लट्‌टा शीट में मौजूद तरमीम के मुकाबले स्थान परिवर्तन हो गया है जो मौके व गत तरमीम अनुसार अशुद्ध है जिससे तहसीलदार भीण्डर द्वारा लट्‌टा शीट में मौजूद आराजी नंबर 371/3 की तरमीम के आधार पर आराजी नंबर 484 रकबा 1.1400 है. किस्म विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड में से 0.5300 है. एवं आराजी नं. 491 रकबा 0.2000 है. किस्म विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड में से 0.1200 है. भूमि को किस्म आवादी एवं आराजी नं. 492 रकबा 0.6500 है. भूमि को विकास पंचायत महफूज चरनोट हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया।

5. उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से यह पाया कि साविक आराजी नंबर 371/3 रकबा 3 विघा भूमि में नवीन सेंटलमेंट के वाद तरमीम गत लट्‌टा शीट में मौजूद तरमीम के अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

::—आदेश—::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कियाखेड़ा पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 139 की आराजी नंबर 484 रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि किस्म पड़त द्वितीय में से 0.5300 हैक्टेयर भूमि व आराजी नंबर 491 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म पड़त द्वितीय में से 0.1200 हैक्टेयर भूमि विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु के वजाय आवादी [illegible] पूर्ण संस्था के लिए किस्म आवादी के नाम दर्ज किये जाने व खाता [illegible] 492 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि आवादी ग्राम पंचायत वरणी [illegible] के वजाय विकास पंचायत महफूज चरनोट वरणी हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा C अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।